



2026:AHC-LKO:4693-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 558 सन 2026

जगन्नाथ यादव

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव पंचायती राज विभाग

उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	विनोद कुमार
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार को, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता श्री आकाश अस्थाना को और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता वार्ड संख्या 12 और 13 के लिए एक विशेष स्थान पर बूथों के आवंटन की मांग कर रहा है। राज्य चुनाव आयोग के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिका समय से पहले दायर की गई है क्योंकि ग्राम पंचायत चुनावों की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है और बूथों के आवंटन आदि की पूरी प्रक्रिया अभी बाकी है।
3. उपरोक्त के मद्देनजर, इस मुद्दे पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समय पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर किसी भी कानूनी बाधा के अभाव में विचार किया जा सकता है।
4. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका को **निस्तारित** किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 21, 2026

-पीयूष-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।